स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या 143, दिनांकः 16–05–2024

वर्ष–2014 में जनपद गोण्डा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई हत्या की घटना में 10 वर्षो से फरार/वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कप्तान मिश्रा लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 15–05–2024 को एस0टीएफ0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 410/2014 धारा 302, 201, 147, 148, 149, 120बी भादवि में 10 साल से फरार/वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त कप्तान मिश्रा को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

कप्तान मिश्र पुत्र किशुनराज मिश्र नि0 रामनगर तरहर, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरादगीः–

1– 02 अदद एटीएम कार्ड।
2– 01 अदद महिन्द्रा थार नं0 यूपी 32 एनक्यू 8886
3– रू0 1000/– नगद।
4– 01 अदद हाथ की घड़ी।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 15–05–2024 समय 21.40 बजे, हरि प्लाजा, नहर रोड, प्लाट नं0 36, तिवारीपुर, थाना जानकीपुरम, लखनऊ।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 15–05–2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 टीम को सूचना मिली की जनपद गोण्डा के थाना क्षेत्र कोतवाली देहात में हुई हत्या की घटना में वांछित एवं फरार अभियुक्त कप्तान मिश्रा जनपद लखनऊ में छिपकर रह रहा है। जो हरि प्लाजा, नहर रोड, प्लाट नं0 36, तिवारीपुर, थाना जानकीपुरम, लखनऊ के पास आने वाला है। इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त कप्तान मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त कप्तान मिश्र ने बताया कि वह वर्ष–2014 में गॉव की आपसी रंजिश को लेकर अपने साथी सोनू, सुरेन्द्र, सर्वेश, सुनील के साथ मिलकर गॉव के ही अमित शुक्ला को कही ले जाने के बहाने अपनी कार में बैठाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया और लाश को

जनपद बाराबंकी के थाना क्षेत्र रामनगर में सुनसान स्थान पर फेककर फरार हो गये। इस घटना में शामिल इसके चारों अन्य सहयोगियों को मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है तथा तभी से यह लखनऊ एवं आस पास के जनपदों में छिपकर रह रहा था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त कप्तान मिश्र का निम्न अपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ है:–</u>

1– मु0अ0सं0 277/13 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506, 427 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
2– मु0अ0सं0 131/2013 धारा 147, 148, 432, 323, 506 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
3– मु0अ0सं0 97/2014 धारा 110जी द0वि0सं0 थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
4– मु0अ0सं0 407/2013 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
5– मु0अ0सं0 45/2014 धारा 147, 148, 149, 307, 452, 323, 504, 506 भादवि व 7सीएलए एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
6– मु0अ0सं0 189/2013 धारा 147, 148, 432, 506 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
7– मु0अ0सं0 330/2014 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
8– मु0अ0सं0 410/2014 धारा 302, 201, 147, 148, 149, 120बी भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
9– मु0अ0सं0 247/2015 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

अभियुक्त कप्तान मिश्र को थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 410/2014 धारा 302, 201, 147, 148, 149, 120बी भादवि में दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।